न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 187 / 2023

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. राणाराम पुत्र हेमाराम
2. अमरूदेवी पत्नि सवाराम
3. सवाराम पत्रु कालूराम
   जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 28 वर्ष
2. गवरीदेवी पत्नि टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 80 वर्ष
3. गोधूराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 50 वर्ष
4. जोगाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 47 वर्ष
5. भोमाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 26 वर्ष
6. राउराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 44 वर्ष
7. हिमथाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 40 वर्ष
8. ठाकंराराम पुत्र भूराराम उम्र 38 वर्ष
9. रूगनाथराम पुत्र भूराराम उम्र 63 वर्ष
10. सांवलाराम पुत्र भूराराम उम्र 44 वर्ष
11. हीरोंदेवी पत्नि भूराराम उम्र 75 वर्ष
12. अणदाराम पुत्र चुतराराम उम्र 67 वर्ष
13. खेमाराम पुत्र गोमाराम उम्र 57 वर्ष
14. गवरी पत्नि गोमाराम उम्र 80 वर्ष
15. चौलाराम पुत्र करनाराम उम्र 68 वर्ष
16. दमाराम पुत्र गोमाराम उम्र 60 वर्ष
17. [illegible] पुत्र [illegible] वर्ष
18. मोटाराम पुत्र [illegible] 47 वर्ष
19. [illegible] पुत्र करना[illegible] 70 वर्ष
20. [illegible] उम्र 48 वर्ष
21. लिखमाराम पुत्र चु[illegible]म उम्र 50 वर्ष
22. साजनराम पुत्र गोमाराम उम्र 53 वर्ष
23. हीराराम पुत्र करनाराम उम्र 66 वर्ष
24. अचलाराम पुत्र चेनाराम उम्र 44 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested

25. अणदूदेवी पत्नि खेनाराम उम्र 74 वर्ष
26. ठाकरराम पुत्र खेनाराम उम्र 40 वर्ष
27. देराजराम पुत्र किरतराम उम्र 30 वर्ष
28. दौलाराम पुत्र किरताराम उम्र 27 वर्ष
29. पेमीदेवी पत्नि किरताराम उम्र 51 वर्ष
30. जालाराम पुत्र राजूराम उम्र 72 वर्ष
31. पदमाराम पुत्र मोटाराम उम्र 67 वर्ष
32. मगाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 56 वर्ष
33. देवाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 50 वर्ष
34. पूनमाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 48 वर्ष
जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
35. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आ[illegible] खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह [illegible] लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना र[illegible] द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के [illegible] खसरा संख्या **468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर** तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076—2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होती है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा सरेली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 468 रकबा 5.9219 हैक्टेयर

तथा खसरा संख्या 468/1 रकबा 2.8153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 3.0338 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:04 IST
Reason: SelfAttested